आवश्यक

नगरपालिका आम चुनाव, 2017

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -न.नि.50-24/2022- 4273

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
दरभंगा।

पटना, दिनांक - 21.9.22

विषय : नगरपालिका का आम निर्वाचन 2022 – बकाया रहित प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 1214 दिनांक 18.09.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा किसी व्यक्ति के जिम्मे नगरपालिका का कोई बकाया रहने की स्थिति में उनके पति/पत्नी/पुत्र/पुत्रवधू को बकाया रहित प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन की माँग की गई है।

उक्त तथ्य के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी का स्वयं में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। अभ्यर्थी के स्वयं के नाम से यदि कोई होल्डिंग अथवा बकाया हो तो उसकी देयता के प्रति वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है। अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य की सरकार के किसी संस्था के प्रति यदि देयता (Liability) है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Law of natural justice) के तहत् अभ्यर्थी को निर्वाचन लड़ने से नहीं रोका जा सकता है।

अनुरोध है कि तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

21/IX/22

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 - 4273 पटना, दिनांक - 21.9.22

प्रतिलिपि प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

21/IX/22

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 - 4273 पटना, दिनांक - 21.9.22

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) (दरभंगा जिला को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को उक्त निदेश से अवगत करा दी जाय।

21/IX/22

सचिव।

21.9.22

ज्ञापांक - न.नि. 50-24/2022 – 4273 पटना, दिनांक – 21.09.22

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/22

सचिव।